भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1588

12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

फूड पार्क

1588. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में फूड पार्क स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में फूड पार्कों के प्रोत्साहकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम का विस्तार छोटे और मध्यम शहरों में करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मूल्य श्रृंखला खेत से बाजार तक के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक अवसंरचना के निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपीएस) कार्यन्वित कर रहा था। इस योजना में प्रति परियोजना रु.50 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों यानी सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में 75% पूंजी अनुदान की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय अपनी ओर से कोई मेगा फूड पार्क स्थापित नहीं करता है, बल्कि यह योजना मांग आधारित थी और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। यह योजना वर्ष 2008 से दिनांक 31.03.2021 तक चालू थी और उसके बाद केवल प्रतिबद्ध देयता के प्रावधान के साथ बंद कर दी गई थी। इसे देखते हुए, देश के किसी भी हिस्से में इस योजना के तहत किसी भी मेगा फूड पार्क को सहायतादेने का प्रस्ताव नहीं है।

योजना के तहत, मंत्रालय ने देश भर में 41 मेगा फूड पार्क (एमएफपी) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इन 41 एमएफपी में से 24 परियोजनाएं चालू हैं और शेष 17 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मंत्रालय कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (मिनी फूड पार्क के समान) के लिए अवसंरचना के निर्माण की योजना लागू कर रहा है, जो उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए पीएमकेएसवाई के तहत एक घटक योजना है। यह योजना भी मांग आधारित है और प्रस्ताव अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्राप्त होते हैं और इच्छुक उद्यमी समय-समय पर मंत्रालय द्वारा आमंत्रित ईओआई में भाग ले सकते हैं।

*****